

अल्पकालिक निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के संस्करण के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु दिनांक 22.4.2016 को दोपहर 1200 बजे तक शील्ड बन्द निविदायें पुलिस अकादमी, कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। विभिन्न शासनादेशों एवं पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के विभिन्न परिपत्र तीन वाल्यूम में मुद्रण/टाईप किये जायेंगे। प्रत्येक वाल्यूम की 500 प्रतियाँ मुद्रित की जानी हैं। प्रत्येक वाल्यूम में लगभग 1000 पृष्ठ होंगे। आमंत्रित निविदायें उसी दिन समय 1300 बजे खोली जायेगी। उत्तर प्रदेश प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी विभाग इलाहाबाद / प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी विभाग दिल्ली/प्रेस, आयकर एवं बिक्रीकर अधिनियम एवं उद्योग एवं श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत मुद्रक ही निविदा प्रेषित कर सकते हैं। कुल निविदा मूल्य की 02 प्रतिशत अरनेस्टमनी के समतुल्य राशि निविदा के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद के पक्ष में देय होगा, द्वारा जमा करनी अनिवार्य है। निविदा की शर्तें एवं पुस्तकों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 1700 बजे तक रुपये 500.00 नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। शेष शर्तें कार्यालय दिवस में देखी जा सकती हैं।

संख्या प-137/2016

दिनांक 11.4.2016

(वी0के0 मिश्र)
पुलिस अधीक्षक
डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,
मुरादाबाद

डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद के लिए उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के मुद्रण हेतु निविदा की शर्तें।

1. फर्म द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही निविदा देनी होगी। निविदा फार्म का मूल्य रु 500.00 होगा जो किसी भी कार्य दिवस में पुलिस अकादमी, मुरादाबाद के प्रधान लिपिक कार्यालय से प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं।
2. निविदायें डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 22.4.2016 को दोपहर 1200 बजे तक डाक से/ दस्ती प्राप्त हो जानी चाहिए। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदायें दिनांक 22.4.2016 को समय 1300 बजे निविदादाताओं के समक्ष, जो उपस्थित होंगे, अकादमी कार्यालय में समिति द्वारा खोली जायेगी।
4. निविदा के साथ कुल निविदा मूल्य की 02 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा की जायेगी। धरोहर राशि के बिना निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उसको निरस्त माना जायेगा।
5. निविदादाता फर्म को, फर्म का व्यापार कर पंजीयन प्रमाण पत्र, गत वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि, प्रेस एक्ट के अंतर्गत पंजीयन, श्रम विभाग एवं उद्योग विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी विभाग, इलाहाबाद एवं प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी विभाग दिल्ली का प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपियाँ संलग्न करनी होगी। सभी प्रमाण पत्र अध्यावधिक होने अनिवार्य हैं। उपरोक्त किसी भी एक प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा खोले जाने के समय मूल अभिलेख दिखाने होंगे।
6. निविदादाताओं द्वारा विगत 03 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो रुपया 50 लाख प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा जिसमें रु 25 लाख प्रतिवर्ष पुस्तकों के मुद्रण हेतु अवश्य होना चाहिए। ऐसा न होने पर निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. 3 वर्षों के आयकर रिटर्न की छाया प्रति जो कि रु 75.00 लाख प्रति वर्ष से कम न हो तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए तथा बैलेंस शीट की सत्य प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी।
8. पुस्तकों के मुद्रण से पूर्व कम्प्यूटर कम्पोजिंग करनी होगी। पुलिस अकादमी से प्रुफ अनुमोदित कराने के बाद तथा त्रुटियों के निवारण उपरान्त ही ऑफसेट मशीन द्वारा पुस्तकें स्वच्छ व साफ सुथरी मुद्रित करनी होगी।
9. निविदादाताओं द्वारा पुस्तकों की बाईंडिंग मजबूत तरीके से करनी होगी। टेढ़ी मेढ़ी अथवा निर्धारित साइज से छोटी पुस्तकों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाताओं द्वारा पुस्तकों के मुद्रण में सेन्चुरी पेपर मिल का सफेद कागज प्रयोग किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता सेन्चुरी प्रीमियम 57 जीएसएम 15.04 किलों प्रति रिम होगी तथा कागज का सैम्पल, सेन्चुरी पेपर मिल के अधिकृत विक्रेता से प्रमाणित कराकर निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ कागज व कवर का नमूना संलग्न न होने पर निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और निरस्त माना जायेगा। कागज का फुल स्केप पेपर ए-4 साइज का नमूने के रूप में संलग्न करना होगा।
11. पुस्तकों के मुद्रण हेतु निर्धारित पेपर का प्रयोग न किये जाने की दशा में 30 प्रतिशत धनराशि कटौती कुल देय बिल धनराशि में से कर ली जायेगी।
12. मुख्य कवर हेतु 300 जीएसएम कार्ड शीट, लेमिनेशन सहित प्रयोग की जायेगी। निर्धारित विशिष्टियों से कम के नमूने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। पुस्तकों में मुख्य कवर पूरा चढ़ा होना चाहिए। छोटे कवर वाली पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. अनुमोदित निविदा मूल्य निविदा स्वीकार के दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी। पुस्तकों की निर्धारित संख्या की सीमा घटाने एवं बढ़ाने एवं पुस्तकों की आपूर्ति एक अथवा एक से अधिक अवसरों पर किये जाने हेतु निविदादाताओं को निर्देश देने का भी अधिकार पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को होगा। प्रुफ अनुमोदन किये जाने की तिथि के बाद पुस्तकों की सम्पूर्ति 01 माह के अंदर करनी होगी।

14. निविदा की शर्तों के अनुसार ही निविदादाताओं को निविदा देनी होगी। निविदा में दी गयी शर्तों के अनुसार प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जायेगा। निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ लगाई गयी कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
15. निविदादाता द्वारा यदि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है तो 10 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
16. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को होगा।
17. पुस्तकों की सम्पूर्ति पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में की जायेगी। पुस्तकों की सम्पूर्ति किये जाने का पूर्ण दायित्व मुद्रक का होगा।
18. निविदा स्वीकृत होने की सम्पूर्ण कार्यवाही के समाप्त होने तक किसी भी बिन्दु पर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मुरादाबाद होगा।
20. निविदादाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुस्तकों का मुद्रण अपनी ही यूनिट पर करेंगे तथा मशीनों की संख्या एवं कर्मचारियों का उल्लेख करेंगे।
21. निविदादाताओं को निविदा के साथ रु 100.00 के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि फर्म को कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।
22. निविदादाताओं को यह भी शपथ पत्र निविदा के साथ देना होगा कि उसके विरुद्ध भारत में कहीं पर कोई अभियोग लम्बित/प्रचलित नहीं है।
23. निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण अथवा विस्तृत जानकारी यदि आवश्यक है तो प्रधान लिपिक या पुलिस अकादमी की प्रकाशन शाखा के प्रभारी से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है।
24. अन्तिम भुगतान में से नियमानुसार आयकर एवं अन्य देय टैक्स काटे जायेंगे।

(वी०के० मिश्र)
पुलिस अधीक्षक
डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,
मुरादाबाद